भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3065

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

ओवरलोडेड वाहनों के लिए शास्ति प्रावधान

3065. श्री इमरान मसूद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 15 अप्रैल, 2026 से ओवरलोडेड वाहनों पर संशोधित शास्ति प्रावधानों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके नए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यान्वयन के बाद ऐसे कितने मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) राजस्व संग्रह और सड़क सुरक्षा पर उक्त दंडात्मक कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) सरकार ने सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 13.04.2026 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के नियम 10 को प्रतिस्थापित करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले अतिभार लदे (ओवरलोडेड) वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने और वसूलने के लिए एक संशोधित ढांचा प्रदान करता है।

तदनुसार, वाहन चालक, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहन के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित डिजिटल भुगतान साधनों के माध्यम से नीचे दर्शाई गई दरों पर संग्रहित किया जाएगा:

तालिका

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	**शुल्क की आधार दर से गुणन कारक**	**शुल्क**
(1)	(2)	(3)
10% तक	कोई ओवरलोड शुल्क नहीं	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू
10% से अधिक लेकिन 40% तक	2	

40% से अधिक	4	शुल्क) x (गुणन कारक)]

(ग) अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूले गए ओवरलोड शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

ओवरलोड यातायात और संग्रहण		
माह (2026)	**यातायात**	**संग्रहण (करोड़ रुपये में)**
अप्रैल	4,49,057	20.05
मई	5,50,465	20.83
जून	4,03,743	14.59
जुलाई	3,53,842	14.57

(घ) सड़क सुरक्षा उपाय के रूप में ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन, जिसमें चालान जारी करना और ओवरलोडेड वाहनों से अधिक लदे भार को उतारना शामिल है, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अंतर्गत संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 का नियम 10 राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले ओवरलोडेड वाहनों पर अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क लगाने का प्रावधान करता है, जो अतिभार लदान के विरुद्ध एक निवारक के रूप में और ऐसे वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति उपाय के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में, राजस्व संग्रहण या सड़क सुरक्षा पर संशोधित प्रावधानों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है।
